झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

संकल्प

विषयः–भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग से झारखण्ड के छः जिले हेतु प्रस्तावित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना संचालन के सम्बन्ध में।

1. भारत सरकार द्वारा सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता की उपलब्धता के दृष्टिकोण से देश के 04 पिछड़े राज्यों (झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, एवं असम) को विश्व बैंक की सहायता हेतु चयनित किया गया है, जहाँ पर विश्व बैंक परियोजना का कार्यान्वयन किया जाना है। इस परियोजना में झारखण्ड के छः जिलों गढ़वा, पलामूँ, खूँटी, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम एवं दुमका का चयन विश्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया है।

2. यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अधीन ही संचालित होगी। योजना के अधीन विश्व बैंक से धनराशि भारत सरकार को ऋण के रूप में प्राप्त होनी है और राज्य को यह धनराशि भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप मे उपलब्ध करायी जायेगी। योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत धनराशि विश्व बैंक के ऋण से पोषित होगी जो राज्य के लिए अनुदान के रूप में होगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राविधानित केन्द्रांश एवं राज्यांश के द्वारा बराबर–बराबर अर्थात् 25%-25% उपलब्ध करायी जायेगी। योजना के अन्तर्गत विश्व बैंक का ऋण इन्टरनेशनल डेवलपमेन्ट एजेन्सी (आई0डी0ए0) विन्डो से है अर्थात् यह सॉफ्ट लोन की श्रेणी में है। योजना की अवधि 2013–14 से 6 वर्ष होगी। यह योजना तीन चरणों में सम्पादित होगी। प्राप्त होनेवाली राशि का संधारण अनुमोदित मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा।

3. विश्व बैंक सहायतित उपर्युक्त परियोजना के अन्तर्गत झारखण्ड को ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना हेतु कुल रू0 879.00 करोड़ की धनराशि उपलब्ध होने की सम्भावना है जिसमें से रू0 729.00 करोड़ पेयजल एवं स्वच्छता अवस्थापना, रू0 99.00 करोड़ क्षमता निर्माण एवं क्षेत्र विकास तथा रू0 51.00 करोड़ परियोजना प्रबंधन हेतु प्रस्तावित है। योजनाधीन स्वच्छता कार्यक्रम, भारत सरकार द्वारा संचालित निर्मल भारत अभियान (सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान) का पूरक होगा। परियोजना के दिशा–निर्देशानुसार कार्यक्रम राज्यव्यापी अवधारणा के आधार पर क्रियान्वित किया जायेगा ताकि उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो सके।

4. अतः उपलब्ध धनराशि को दृष्टिगत रखते हुए सीमित संख्या में ही परियोजना हेतु जिले चयनित किये गये है। तदनुसार झारखण्ड के ऐसे जिले जो जल की खराब गुणवत्ता अथवा भूगर्भ जल की कमी से प्रभावित हैं, उन्हें इस परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिकता दिया जायेगा। इस प्रकार झारखण्ड के गढ़वा, पलामूँ, खूँटी, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम एवं दुमका इस परियोजना के अधीन आच्छादित किये जायेंगे।

5. परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा शुद्ध जलापूर्ति प्रदान करना एवं स्वच्छता के क्षेत्र में ग्रामीणों को सुविधा उपलब्ध कराना एवं जागरूक करना है। झारखण्ड राज्य के पलामू एवं गढ़वा जिलों में पेयजल की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु, खूंटी जिले में अधिक से अधिक आदिवासी जनसंख्या को लाभान्वित करने हेतु, दुमका जिले में वर्तमान में सबसे कम पेयजल आपूर्ति को और बढ़ाने हेतु तथा सरायकेला एवं पूर्वी सिंहभूम जिलों में पानी की उपलब्धता के आधार पर इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य परियोजनाधीन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता की उपलब्धता कराना है। इस परियोजना के अन्तर्गत 6 जिलों का चयन भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया है। इन जिलों के लगभग 530 ग्राम पंचायतों एवं 3200 बस्तियों में पेयजल योजनाएं तथा स्वच्छता कार्यक्रम संचालित किया जाना है तथा इस योजना से लगभग 11 लाख लोग लाभान्वित होंगे। योजना के क्रियान्वयन हेतु विश्व बैंक द्वारा 03 चरण निर्धारित किये गये हैं। एकल बसावट योजनाओं तथा एकल ग्राम योजनाओं का क्रियान्वयन, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा DPMU व S.O. के सहयोग से किया जायेगा। बहुल ग्राम परियोजनाओं का क्रियान्वयन भी DPMU द्वारा किया जायेगा तथापि इनके प्रत्येक ग्राम की सीमा के अन्दर, पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन का दायित्व सम्बन्धित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) का होगा।

6. परियोजना के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु मजबूत एवं समुचित तंत्र की व्यवस्था PIP (Project Implementation Plan) में की गयी है। योजना का अनुश्रवण मुख्यतः परियोजना के विकास, जलापूर्ति, ग्रामीणों पर इसके असर एवं पहुंच के आधार पर किया जायेगा। मुख्यतः बाहरी एवं तकनीकी संस्थाओं द्वारा परियोजना का योजनाबद्ध तरीके के मध्यावधि एवं अंतिम मूल्यांकन किया जायेगा। सामाजिक अंकेक्षण के लिए भी परियोजना में समुचित व्यवस्था की गयी है। परियोजना के समस्त तकनीकी कार्यों के लिए स्वतंत्र गुणवत्ता अंकेक्षण भी किये जायेंगे।

7. परियोजना के छह वर्ष के अंतराल में तीन भागों के दौरान लाभुकों का अनुमानित प्रतिशत वर्ष 1 एवं 2 में 15 प्रतिशत, वर्ष 3 एवं 4 में 50 प्रतिशत, वर्ष 5 एवं 6 में 80 प्रतिशत एवं तदोपरांत वर्ष 7 से 100 प्रतिशत है। परियोजना में यह माना गया है कि 50 प्रतिशत से शुरू होकर धीरे–धीरे 100 प्रतिशत तक Household जलापूर्ति से सीधे जुड़ जाएंगे।

8. बड़ी ग्राम समूह परियोजना आवश्यकतानुसार "पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप" के आधार पर भी क्रियान्वित की जा सकती है। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एकल बसावट तथा एकल ग्राम योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं VWSC तथा जन सहभागिता की भूमिका को प्रोत्साहित करने हेतु सहयोगी संगठनों (सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन) के द्वारा शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता एवं योजनाओं की प्रारम्भिक रचना हेतु सहयोग दिया जाना है। समुदाय आधारित परियोजनाओं में समुदाय के सदस्यों की ओर से प्रतीक रूप में अंशदान भी लिया जायेगा, ताकि उनमें योजना के प्रति लगाव एवं स्वामित्व की भावना सुदृढ़ हो।

9. भारत सरकार एवं विश्व बैंक के प्रावधानों के अनुसार परियोजना को संचालित किया जाना है। परियोजना प्रारम्भ करने से पूर्व भारत सरकार तथा विश्व बैंक के निर्देशानुसार पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों से सम्बन्धित सामाजिक विकास, पर्यावरणीय विकास एवं ग्रामीण पेयजल विषयक वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में 03 समयबद्ध अध्ययन कराया गया है (Studies on 1. Environmental assessment and Environmental management framework 2. Social Assessment, capacity building and communication and 3. Assessing rural drinking water supply and sanitation programme (sector performance)। परियोजना की स्वीकृति की तिथि से पूर्व परियोजना की तैयारी चरण (प्री प्रोजेक्ट फेज) में होने वाले व्ययों के भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पोषित सपोर्ट फण्ड के मद से रू0 2.50 करोड़ की धनराशि व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है, जिसकी प्रतिपूर्ति कालान्तर में विश्व बैंक द्वारा की जायेगी। परियोजना को निर्धारित समय सारणी के अन्तर्गत प्रारम्भ एवं पूर्ण किये जाने की अपरिहार्यता के दृष्टिगत समय–समय पर परियोजना की तैयारी एवं संचालन हेतु आवश्यक विभिन्न नीतिगत बिन्दुओं पर त्वरित निर्णय लिए जाने हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को अधिकृत किया जाता है।

10. विश्व बैंक के तकनीकी सलाहकारों तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखण्ड के परामर्श के अनुसार उपरोक्त चयनित जिलों में पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम का क्रियान्वयन चरणबद्ध रूप से निम्नांकित राशि के अनुसार किया जायेगा :–

Project Component	Rs. (in Crore)	% of total
Capacity building and sector development	99	11%
Infrastructure investment	729	83%
Project Management	51	6%
Total	**879**	**100%**

Batch wise number of Schemes and habitations coverage (proposed)

Batch	Years		SVS Schemes*		Small MVS Schemes		Large MVS Schemes		Total	
	From	To	No of Schemes	Habitations Coverage	No of Schemes	Habitations Coverage	No of Schemes	Habitations Coverage	No of Schemes	Habitations Coverage
Batch-1	Feb-14	Jan-17	326	766	6	94	3	122	335	982
Batch-2	Feb-16	Jan-19	270	742	21	494	3	65	294	1301
Batch-3	Feb-17	Jan-20	83	314	36	626	3	81	122	1021
Total			**679**	**1822**	**63**	**1214**	**9**	**268**	**751**	**3304**

11. **प्रशासनिक स्वीकृति** :– मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक–188 दिनांक 13.02.2012 एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 2811 दिनांक 05.07.13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति दी जायेगी।

12. परियोजना कार्यान्वयन मार्गदर्शिका (PIP) के अनुसार SLSSC से योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त किया जाना है।

13. विश्व बैंक सहायतित झारखण्ड के उपर्युक्त अंकित जिलों में चरणबद्ध रूप से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन सोसाईटी (JSWSMS) (जो कि एक निबंधित संस्था है) के अधीन एक अलग से राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) तथा जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाईयों (DPMU) का गठन किया जाना है तथा इन इकाईयों में प्रस्तावित विशेषज्ञों (तकनीकी, वित्तीय, संगठनात्मक विकास, सामाजिक विकास, प्रोक्योरमेन्ट, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण तथा पर्यावरणीय) का चयन विश्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जायेगा/गया है। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) की स्थापना, नियंत्री कार्यकारी समिति के गठन एवं इसके लिए आवश्यक विभिन्न अस्थायी पदों के सृजन के लिए अलग से प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

14. परियोजना से संबंधित बैंक खाता अलग से खोलने हेतु भारत सरकार से पत्र प्राप्त है, जिसपर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी है। उक्त परियोजना अन्तर्गत राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई हेतु कुल 18 पदों के सृजन का निम्न प्रकार से प्रस्ताव है:–
    1. निदेशक पद हेतु AIS के सदस्य जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में JS/AS/SS रैंक से नीचे के न हो।
    2. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता का एक–एक पद जो प्रतिनियुक्ति/ अतिरिक्त प्रभार पर रखा गया है।
    3. उपनिदेशक (वित्त) का पद राज्य वित्त सेवा/ महालेखाकार कार्यालय, झारखण्ड स्तर के पदाधिकारी के द्वारा प्रतिनियुक्त/अतिरिक्त प्रभार से भरा जाएगा।
    4. शेष चौदह (14) पद अनुबंध पर रखा जाना है, जिसका व्यय परियोजनाधीन प्राप्त राशि से किया जायेगा। इस प्रकार राज्य सरकार पर मानव संसाधन मद में अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।

परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु इसके अन्तर्गत राज्य, जिला एवं ग्राम स्तरों पर सभी प्रतिभागी अधिकारियों, कर्मचारियों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा ग्रामीण जन की क्षमता एवं कौशल वृद्धि हेतु व्यापक प्रशिक्षण एवं सूचना शिक्षा एवं संचार (आई0ई0सी0) संबंधी कार्यों तथा पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने का भी प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम में स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है और कार्यक्रम में जन सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। पेयजल योजनाओं के प्रति ग्रामीण समुदाय की भागीदारी एवं स्वामित्व की भावना विकसित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि पेयजल की अवस्थापना तथा संचालन एवं अनुरक्षण

हेतु ग्रामीण समुदाय के अंशदान की समुचित व्यवस्था निरूपित हो। विश्व बैंक सहायतित परियोजना के क्रियान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर संस्थागत विकास की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में कालान्तर में प्रशिक्षण, तकनीकी विकास/सहायता तथा क्षमता संवर्धन आदि को देखते हुए विभागीय स्तर पर संगठनात्मक ढांचे का विकास किया जायेगा। परियोजना वर्तमान समय में तैयारी के चरण में है तथा विश्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए इसे यथासम्भव आगामी एक माह में अन्तिम रूप दिया जाना प्रस्तावित है, जिसके उपरान्त परियोजना की स्वीकृति हेतु भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जायेगा।

15. परियोजना एवं इसकी कुल राशि में राज्यांश पर सैद्धांतिक सहमति मिलने के उपरांत यदि परियोजना के स्वरूप अथवा क्रियान्वयन में कोई परिवर्तन किया जाता है तो तदनुरूप, सक्षम स्तर को सूचित किया जायेगा।

आदेश– **आदेश दिया जाता है कि इसे झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त तथा महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ भेजी जाए।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

19.10.13

(सुधीर प्रसाद)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक –SWSM/WB/Cabinet Note-63/13 Part- 232 राँची, दिनांक 19.10.13

प्रतिलिपि : राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि झारखण्ड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

19.10.13

(सुधीर प्रसाद)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक –SWSM/WB/Cabinet Note-63/13 Part- 232 राँची, दिनांक 19.10.13

प्रतिलिपि : राज्यपाल महोदय के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी माननीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/महालेखाकार, झारखण्ड/सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ अग्रसारित।

19.10.13

(सुधीर प्रसाद)
सरकार के अपर मुख्य सचिव